

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान गुरवीर सिंह बनाम ग्र.प. 15 ओ
 प्रकरण संख्या 37 / 2024 अन्तर्गत धारा 81 LR Act.

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज
21/03/24	<p>प्राची अधिवक्ता उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 28/03/24 को पेश हो।</p>
28/03/24	<p>प्राची अधिवक्ता उपस्थित। बहस पर मतन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौरान बहस प्राची अधिवक्ता के द्वारा विवेदन किया कि प्राची का प्राचीन पुत्र स्वीकार किया जाकर ताफैसला अपील इंतकाल, अपीलार्ड के कब्जा काशत में दखल अंदाजी करने से रोकें जाने व गलत इंतकाल की आड में मुद्दे मुताकिल करने से रोकें जाने का आदेश फरमाया जावे। हस्तागत प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का संतुलन, अपूरणीय तति के बिन्द् प्राची के पक्ष में बनना नही पाए जाते हैं। लिहाजा प्राची का प्राचीन पुत्र स्वारिज किया जाता है। पत्रावली निगीत होकर गम्बर से फर्न होकर मूल अपील के साथ संलग्न हो।</p>



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
 श्री करणपुर

